कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा सीकर

कार्यालय आदेश

श्रीमान् निदेशक प्रारंभिक शिक्षा बीकानेर ,राजस्थान के आदेश कमांकः शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/सी–एफ/19626/निशिसं/ऑनलाईन मान्यता /16–17 दिनांकः 21.04.2016 व दिनांक 05.05.2016 के निर्देशानुसार निम्नांकित गैर सरकारी संस्था को उनके द्वारा आवेदन पत्र,शपथ पत्र ,अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करने एवं निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन शैक्षिक सत्र 2016–17 से उनके द्वारा संचालित किये जाने वाले विधालय को उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता का आशय पत्र जारी किया जाकर सत्र 2015–16 से कक्षा 8 तक विधालय संचालन करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। विधालय संचालन की सूचना एवं संलग्न प्रपत्र आवश्यक रूप से भर संबंधित ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में भिजवायें।

1. संस्था को राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989 एवं 1993 में वर्णित सभी प्रावधानों व मानदण्डों की पालना करनी होगी, शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्क्रम के अनुसार ही शिक्षण कार्य करवाना होगा।
2. संस्था को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (केन्द्रीय अधिनियम) और राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011 के सभी उपबन्धों की शत प्रतिशत पालना करना अनिवार्य होगा।
3. प्रधानाध्यापक ,शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक सभी प्रशिक्षित एवं निर्धारित योग्यताधारी हो।नियमित रूप से नामांकन ,संस्थापन व अन्य सूचनायें उच्चाधिकारियों को प्रस्तुत करनी होगी।
4. संस्था को किसी प्रकार का अनुदान देय नहीं होगा।
5. संस्था को नियमानुसार समान परीक्षा शुल्क एवं प्रतिवर्ष कीडा शुल्क नियमानुसार समय पर जमा करवाना होगा।
6. संस्था को सक्षम अधिकारी द्वारा जारी भवन सुरक्षा प्रमाण–पत्र प्रति तीन वर्ष में आवश्यक रूप से जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों में प्रस्तुत करना होगा।
7. विधालय में आवश्यक रूप से अग्निशमन यंत्र स्थापित करना होगा।
8. संस्था द्वारा विधालय संचालन नहीं करने पर मान्यता का आशय पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जावेगा।
9. विधालय के नाम ,स्थान भवन परिवर्तन सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना नहीं किया जा सकेगा।
10. राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देयों व नियमों की पालना नहीं करने एवं विधालय निरीक्षण के समय अनियमितता पायी जाने पर तत्काल प्रभाव से मान्यता का आशय पत्र निरस्त किया जा सकता है।

क.स.	विधालय का नाम	माध्यम	ब्लॉक का नाम
1	शेखावाटी वर्ड स्कूल सर्किट हाउस के पीछे जयपुर रोड , सीकर	अंग्रेजी	सीकर

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, सीकर

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/सी/विधि/मान्यता/2015/193 दिनांकः 02/11/2016

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ /पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. श्रीमान् निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान ,बीकानेर।
2. श्रीमान् उप निदेशक प्रा0शि0 जयपुर संभाग,जयपुर।
3. श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी मा0 प्रथम/द्वितीय ,सीकर।
4. ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी समय–समय पर विधालयों का निरीक्षण कर विभागीय निर्देशों व शर्तों की पालना
5. सुनिश्चित करवायेगें।
6. संबंधित संस्थाप्रधान/सचिव/अध्यक्ष ....
7. प्रभारी/सामान्य/शैक्षिक प्रकोष्ठ/सांख्यिकी /आर टी ई /संस्थापन शाखा कार्यालय हाजा ,सीकर ।
8. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा, सीकर